

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 583

प्रकरण क्रमांक –SM-URP-2025-03214

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध श्रीमंत कुमार मल्लिक, पता-306, तृतीय तल, बालाजी होम्स, वार्ड नं.-45, तेलीबांधा, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
25/06/2026	– प्रकरण प्रस्तुत। – प्राधिकरण द्वारा दिनांक 09.03.2026 को अनावेदक के विरुद्ध रुपये 1,00,000/- की शास्ति अधिरोपित की गई थी, जिसे अनावेदक द्वारा ऑनलाईन चालान के माध्यम से दिनांक 21.04.2026 को निर्धारित शासकीय मद में जमा कर चालान की मूल प्रति प्रस्तुत किया गया है। अनावेदक भविष्य में यदि भूखण्डों का विकास एवं विक्रय करना चाहता है, तो सक्षम प्राधिकारी से विकास अनुज्ञा एवं विकास अनुमति प्राप्त करना होगा एवं प्रोजेक्ट का विधिवत् अधिनियम की धारा-03 के अधीन पंजीयन कराया जाना आवश्यक होगा। – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही / – (धनंजय देवांगन) सदस्य सही / – (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	